R.103-PBR/16

1. प्रकाशचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बाबूराम निवासी वर्गे की गोठ जनकगंज, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1. श्रीमंती हेमलता शिवहरे पत्नी श्री सुरेश चन्द्र शिवहरे, निवासी खेडापति मंदिर के पीछे, गाँधीनगर, ग्वालियर (म0प्र0)
2. श्रीमती ममता चौबे पत्नी श्री रामाधार चौबे, निवासी विनयनगर, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
3. विनोद पुत्र लक्ष्मण राव, निवासी शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
4. विजय पुत्र श्री काशीराम, निवासी ए.बी. रोड; लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
5. रामनाथ पुत्र बाबूलाल, निवासी रोशनी घर, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
6. राजस्व निरीक्षक (श्री राकेश श्रीवास्तव), वृत–8, बहोडापुर, तहवील व जिला ग्वालियर म0प्र0

-- अनावेदकगण

दिनांक 7-1-16 को ... प्रस्तुत।
7-1-16
SO

7-1-16
K. Dwivedi

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 न्यायालय तहसीलदार महोदय (अधिकारों से वैष्ठित) राजस्व निरीक्षक (राकेश श्रीवास्तव) वृत–8, बहोडापुर, तहसील व जिला ग्वालियर के विरूद्ध।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.103–पीबीआर/2016 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–01–2016	आवेदक की ओर की ओर से श्री एस0के0वाजपेयी, श्री के0के0द्विवेदी, श्री एन0डी0शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में उन्हें सुना गया । अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2016 का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित प्रकरण में सर्वे नम्बर के संबंध में बटांकन की कार्यवाही का प्रकरण वर्तमान में आयुक्त न्यायालय में दिनांक 4–1–2016 को प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में बटांकन की कार्यवाही विवादित है तथा उसको अभी अंतिम रूप नहीं मिला है इसलिये सीमांकन की कार्यवाही करना उचित नहीं है, अतः आयुक्त के न्यायालय में बटांकन की कार्यवाही में निर्णय होने तक प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही स्थगित रखी जाये तथा यदि कोई सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न की गई है तो उसके सन्दर्भ में आगामी कार्यवाही स्थगित रखी जाये । उक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	